ISBN : 978-81951728-5-6

# वर्तमान में बढ़ते महिला अपराध : निवारण

**शिखा सक्सेना**
शोधार्थिनी
मंगलायतन विश्वविद्यालय,
अलीगढ, उत्तर प्रदेश, भारत

**प्रस्तावना**

वर्तमान दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है। आज महिलाएं आँगन से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच गयी है परंतु यह हमारे समाज की विडंबना है कि भारतीय समाज में जैसे–जैसे स्वतंत्रता और आधुनिकता का विस्तार हुआ है वैसे–वैसे महिलाओं के प्रति संकीर्णता का भाव बढ़ा है प्राचीन समाज ही नहीं आधुनिक समाज की दृष्टि से भी महिलाएं मात्र औरत है। इसी मानसिकता के कारण महिलाओं के प्रति छेड़छाड़, बलात्कार, यातनाएं, अनैतिक व्यापार, दहेज, मृत्यु तथा यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है विश्व भर में समय–समय पर महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठती रही है। भारत में महिलाएं सामाजिक रीति–रिवाजों द्वारा शोषित और दलित होती रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्ण भी महिलाओं पर अत्याचारों की संख्या में कोई कमी नहीं थी तथा स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं के संबंध में अत्याचार और अपराध निरंतर घटित हो रहे हैं भारतीय समाज का पुरुष प्रधान होना भी महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का मुख्य

**ISBN : 978-81951728-5-6**

कारण है।किसी पर भी अन्याय तथा अत्याचार किसी सभ्य समाज की निशानी नहीं हो सकती। फिर समाज में स्त्रियों के साथ ऐसा होना प्रकृति के विरुद्ध है स्त्रियों को भी सभी सम्मान व अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो कि एक पुरुष को प्राप्त है।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (छब्ठ) की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2019 में हर दिन रेप के 88 मामले दर्ज किए गए. साल 2019 में देश में रेप के कुल 32,033 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 11 फीसदी पीड़ित दलित समुदाय से हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (छंजपवदंस ब्तपउम त्मबवतके ठनतमंन) ने इस वर्ष जो आंकड़े जारी किये हैं, वे यह बताते हैं कि देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सात प्रतिशत बढ़ी है. हालांकि यह डाटा 2019 का है, लेकिन इस वर्ष यानी 2020 में भी स्थिति सुधरी हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है.

राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में जुलाई तक महिलाओं के खिलाफ हिंसा की 2,914 रिपोर्ट दर्ज हुई है. इस मामलों में घरेलू हिंसा, रेप, अपहरण और दहेज हत्या के मामले शामिल हैं. जून महीने में ही रेप के 78 मामले दर्ज हुए जबकि 38 मामले यौन हिंसा के थे।

महिला आयोग के पास जो रिपोर्ट दर्ज हुए हैं उनमें से सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश से ही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े यह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की सबसे अधिक घटना हुई।

ISBN : 978-81951728-5-6

रेप की दर की बात करें तो प्रति एक लाख की आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा रेप राजस्थान में हुए. यहां रेप का रेट 15.9 था, जबकि केरल में 11.1 और हरियाणा में रेट 10.9 प्रतिशत है ।

स्थिति की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में हर 16 मिनट में एक महिला रेप की शिकार होती है. जबकि दहेज हत्या की घटना प्रति एक घंटे में होती है. एसिड अटैक की घटना प्रति दो दिन पर होती है जबकि जबकि गैंगरेप और हत्या की घटना हर तीस घंटे में होती है, जबकि रेप की कोशिश की शिकार महिलाएं हर दो घंटे में होती हैं.

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में देश में महिलाओं के खिलाफ कोई 4,05,861 अपराध हुए जो 2018 में 7.3 प्रतिशत ज्यादा है और साल 2017 में 56,001 मामले सामने आए थे यह यह दर्शाता है कि साल दर साल राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं इन अपराधों के निवारण में कमी एवं इन पर रोक हेतु सशक्त विधान की आवश्यकता थी। तथा भारतीय संसद में महिलाओं के संबंध में ऐसे विधान को बनाने में तनिक भी संकोच नहीं किया है। समय–समय पर भारतीय सरकार ने महिलाओं से संबंधित कानून का भी निर्माण किया है।

भारतीय महिलाओं को अपराधों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा उनकी आर्थिक तथा सामाजिक दशा में सुधार करने हेतु ढेर सारे कानून बनाए गए हैं इनमें अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, गर्भधारण पूर्व लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, सती निषेध अधिनियम 1987, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 , घरेलू

ISBN : 978-81951728-5-6

हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 प्रमुख है।

महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण उनके साथ अपराध होते हैं. अपराधों की बढ़ती संख्या के खिलाफ लड़ने के लिए, अपने कानूनी अधिकारों का पता होना पूरी तरह से जरूरी है। भारतीय संविधान महिलाओं को कई अधिकार प्रदान करता है।

मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 2017– महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान वर्किंग महिलाओं के हितों की रक्षा करता है। इस एक्ट के अनुसार, हर एम्प्लायर को प्रेगनेंसी के कार्यकाल के दौरान प्रत्येक महिला कर्मचारी को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। इन विशेष लाभों में पेड मैटरनिटी लीव (12 से 26 सप्ताह तक), वर्क फ्रॉम होम (सामान्य वेतन लाभ के साथ) और वर्कप्लेस पर क्रेच सुविधाएं भी शामिल हैं। यह एक्ट महिलाओं को उनके काम और पारिवारिक जीवन को बैलेंस करने के लिए अधिक लाभ देता है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (2005) –यह कानून मुख्य रूप से किसी भी महिला साथी (चाहे पत्नी हो या महिला लिव–इन पार्टनर) को पुरुष साथी द्वारा की गई हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि महिला अपने साथी या परिवार के सदस्यों के खिलाफ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक नुकसान के लिए शिकायत दर्ज कर सकती है. इस कानून में अमेंडमेंट के बाद विधवा महिलाओं, बहनों और तलाकशुदा महिलाओं को भी इस तरह के अधिकार दिए गए।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (2005)–यह एक्ट सभी हिंदू महिलाओं को पिता की संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण और शक्ति का

ISBN : 978-81951728-5-6

अधिकार देता है। 2005 में हुए अमेंडमेंट्स ने परिवार के पुरुष और महिला बच्चे के बीच संपत्ति के बांटने के अधिकार को आगे बढ़ाया। जैसे कि बेटियों की शादी के बाद भी उनके पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होता है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम (2006)–हमारे देश में बाल विवाह एक बहुत पुराना रिवाज रहा है। यह कानून दोनों लिंगों के बच्चों को जल्दी शादी के कारण होने वाली परेशानियों से बचाता है। हालाँकि, ज्यादातर मामले जो खुले में सामने आते हैं उनमे छोटी लड़कियों की शादी उनसे बड़े आदमी से कर दी जाती है। जैसे, यह जानना जरूरी है कि एक लड़की की शादी करने की कानूनी उम्र 18 साल है, जबकि लड़के के लिए यह 21 साल की उम्र है। माता–पिता जो निर्धारित उम्र तक पहुंचने से पहले अपने बच्चों का जबरदस्ती विवाह कर लेते हैं, इस कानून के तहत दंड के अधीन हैं।

सड़क उत्पीड़न–हालांकि इंडियन पीनल कोड अपनी पुस्तकों में स्ट्रीट उत्पीड़न ६ ईव टीजिंग का उपयोग या परिभाषित नहीं करता है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको नुकसान से बचाता है। उदाहरण के लिए, इसे सार्वजनिक रूप से एक महिला को परेशान करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, किसी महिला पर अपमानजनक टिप्पणी करना। आईपीसी की धारा 294 और 509 महिलाओं को ऐसी स्थितियों से बचाती है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र की महिला के प्रति अपमानजनक टिप्पणी या इशारा करने के लिए एक व्यक्ति या समूह को दंड दिया जा सकता है।

दहेज निषेध अधिनियम (1961)–बाल विवाह की तरह ही दहेज भी भारतीय संस्कृति में एक सदियों पुरानी परंपरा है। इसमें

**ISBN : 978-81951728-5-6**

लोग चाहते हैं कि शादी के लिए दुल्हन और उसका परिवार अधिक से अधिक राशि का भुगतान करे। भारतीय कानून इस तरह के किसी भी कार्य को दंडित करता है और परिवारों के बीच संबंध बनाता है।

नारी पर अत्याचार रोकने के उपाय एवं निवारण–वर्तमान समाज में महिलाओं पर होने वाले अपराध नित्य प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं जिस देश में स्त्री को शक्ति का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है वहीं दूसरी तरफ उन पर इतने सारे अत्याचार करते हुए हमारा समाज एक पल के लिए भी नहीं डरता ।हमारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बिना स्त्री के यह समाज अर्थहीन हो जाएगा ।अतः हमें अपराधों के निवारण करना अत्यंत आवश्यक है।

'महिलाओं के प्रति अपराध के सभी मामलों को प्राथमिकता देनी आवश्यक है।

'स्कूल तथा कॉलेजों द्वारा बालिकाओं तथा महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

'राज्य पुलिस में व्यापक रूप से महिला पुलिस पदाधिकारियों की भर्ती की जानी चाहिए।

'राज्यों में प्रथम रूप से महिला पुलिस स्टेशन आवश्यकतानुसार स्थापित किए जाने चाहिए।

'महिलाओं के प्रति अपराध रोकने के हेल्पलाइन नंबरों को बड़े–बड़े अंकों में अस्पतालों, स्कूल कॉलेजों के परिसरों और अन्य उपयुक्त स्थानों पर लगाए जाने चाहिए।

' महिलाओं के उत्पीड़नकर्ताओं के लिए कठोर से कठोर सजा सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे उनके मन में सजा भय हो।

ISBN : 978-81951728-5-6

'महिलाओं को संविधान द्वारा उनके दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूक कराएं।

'महिलाओं को समान दर्जा और सुरक्षित वातावरण देने के लिए जरूरी है कि छोटी उम्र से ही लड़का हो या लड़की दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। नियम कानून दोनों के लिए बराबर बनाए जाएं।

'प्रायरू देखने में आता है कि स्कूलों में नैतिक शिक्षा (मोरल वैल्यू) पाठ्यक्रम में शामिल है परंतु वह केवल पाठ्यक्रम बनकर रह गई है परंतु इससे चरित्र और नैतिक मूल्यों का निर्माण जितना होना चाहिए था स्थितियां उसके विपरीत ही हैं इनकी समीक्षा होनी चाहिए तथा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किस प्रकार से प्रभावी हो।

' माता–पिता को अपने बच्चों के चरित्र निर्माण के प्रति प्रारंभ से ही जागरूक होना चाहिए क्योंकि चरित्र ही एक उत्तम समाज की नींव होती है क्योंकि चरित्र से ना केवल

व्यक्ति का नैतिक विकास होता है बल्कि सर्वागीण विकास होता है।

'महिलाओं को लोक लाज के भय से चुप न रहकर अपने प्रति हुए अपराधों के खिलाफ बोलने के लिए जागरूक करना चाहिए।

'महिलाओं पर हुए अपराधों के खिलाफ कड़े से कड़े कानून होने चाहिए तथा जिन पर जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए जिससे ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो।

'उत्पीड़ित महिलाओं को समाज द्वारा हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।

**निष्कर्ष**

ISBN : 978-81951728-5-6

नारी सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। हम सब को मिलकर एक जुट होकर इस समस्या को हल करना होगा। कानून और पुलिस की मदद लेनी होगी। दोषियों और अपराधी लोग जो नारी पर जुल्म करते है , उन्हें सजा दिलवानी होगी। कानून को अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी ताकि नारी के साथ कोई भी बदसलूकी करने से पहले हजार बार सोचे। महिलाओं को चुपचाप अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।प्रत्येक दिन सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाओ को सुनकर दिल दहल उठता है। फिर लोगो की भीड़ देश की सरकार से न्याय मांगती है। सोचने की बात यह है कि लोगो में शिक्षा स्तर की वृद्धि के बावजूद इतने घिनौने अपराध कैसे हो रहे है। यह कहना गलत न होगा कि महिलाओ के प्रति असम्मान, अत्याचार , हत्या जैसी हिंसाओं का कारण है देश की कमजोर कानून और न्यायिक व्यवस्था । यहाँ के कानून प्रशासन को और सख्त होना पड़ेगा ताकि ऐसी हिंसात्मक घटनाएं बंद हो। कानून व्यवस्था को और कई गुना अधिक सख्त होना पड़ेगा ताकि देश की महिलाओं का मानसिक और शारीरिक शोषण ना हो। देश तभी प्रगति करेगा जब देश की कानून व्यवस्था सख्त होगी और अपराध कम होंगे ।इसी तरह, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वोग इंडिया तथा , वैश्विक मानवाधिकार संगठन द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ अभियान चलाऐ गए।ये दोनों ही अभियान महिलाओं से होने वाली हिंसा से निपटने के लिए निजी स्तर पर किए गए। इसी तरह, जिन राष्ट्रव्यापी अभियानों पर उल्लिखित सरकारी योजनाओं की तरह ही बल दिया जाएगा और जिन्हें केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्व–शासन निकायों के सामूहिक प्रयासों से लागू किया जाएगा, तो वे पुरुषों और

**ISBN : 978-81951728-5-6**

लड़कों के व्यवहार में बदलाव को प्रोत्साहित कर सकेंगे। यदि हम सही मायनों में "महिलाओं के खिलाफ हिंसा से मुक्त भारत" बनाना चाहते हैं, तो समय है कि हम एक राष्ट्र के रूप में सामूहिक तौर पर इस बारे में चर्चा करना शुरू करें।